न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री मनोज कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 193/2018

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
रामनिवास पुत्र बुधाराम जाति जाट निवासी खजवाना तहसील मुण्डवा जिला नागौर।		तहसीलदार मुण्डवा।

उपस्थिति :–

1. श्री सांवरराम चौधरी अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री ओमप्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय दिनांक: 06.11.2020

{1}–मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, मुण्डवा द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 69/2018 सरकार बनाम रामनिवास में निर्णय दिनांक 19.07.2018 के तहत मौजा खजवाना के खसरा नं. 206 गै.मु. बारानी–2 भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर दिनांक 14.08.18 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 14.08.18 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया। अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील के समर्थन में तहसीलदार मुण्डवा के प्रकरण सं. 69/18 सरकार बनाम रामनिवास के फर्द अहकाम दिनांक 05.07.18 से 19.07.18 की फोटोप्रति, पटवारी रिपोर्ट की फोटोप्रति, बयान की फोटोप्रति, भौतिक बेदखली रिपोर्ट की फोटोप्रति, नोटिस की फोटोप्रति तथा निर्णय दिनांक 19.07.18 की फोटोप्रति पेश की गई। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री ओमप्रकाश पूनिया राजकीय वकील उपस्थित हुए।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

{2}(I)–अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय जैर अपील कतेई गलत, विधि विरूद्व व मौके की स्थिति के विपरीत किया होने से निरस्तनीय है। चूंकि अपीलांट के विरूद्व इकतरफा मे निर्णय जैर अपील पारित किया गया है। जिसकी अपीलांट को कोई जानकारी नही रही थी, दिनांक 13.7.18 को अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित हुआ जवाब व साक्ष्य हेतु पेशी दिनांक 16.7.18 को नियत कर दी बाद मे 16 के स्थान पर 19 तारीख कांट छांट कर दर्ज कर उसकी अनुपस्थिति मे बिना साक्ष्य सबूत व सुनवाई का अवसर दिये निर्णय पारित किया गया है जो बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये पारित किया हुआ निर्णय नही होने से निरस्तनीय है।

{2}(II)–निर्णय जैर अपील मे छपे छपाये परफोरमा मे मात्र खाली जगह भर कर औपचारिकता पूरी की है खुलासा निर्णय नही है तथा प्रिन्टेड फार्म पर निर्णय पारित किया है जो विधि सम्मत निर्णय की तारीफ मे भी नही आता है। वास्तविकता तो यह है कि अपीलांट का कथित खसरा नं. 206 के किसी भी भू भाग पर न तो पूर्व मे कभी कब्जा रहा है न आज दिन है। अपीलांट से नाराजगी रखने वाले लोगो ने पटवारी को अनुचित दबाव व प्रभाव मे लेकर अपीलांट के विरूद्व अतिक्रमण की मिथ्या रिपोर्ट पेश करवायी है। जबकि कथित खसरा नं. 206 के चिपता ही अपीलांट की कब्जासुद व उसकी पत्नी शांति की खातेदारी के खेत खसरा नं. 210 व 2186/210 स्थित है तथा आवार पशुओ से फसल की राखवाली के लिये अपीलांट ने अपनी हद मे अस्थायी रूप से तारबंदी की थी हालांकि उसे अब हटा भी लिया गया है। मौके पर कोई कब्जा नही है, पटवारी ने मौके पर आकर नाप चोप व निरीक्षण किये बिना ही कार्यवाही संचालित करवायी तथा अपीलांट को जवाब व साक्ष्य सबूत के अवसर से वंचित रखते हुए व पटवारी से जिरह का अवसर दिये बिना, अपीलांट के पीठ पीछे उसे सुना बिना अपीलांट को सिविल कारावास से दण्डित करने का कठोरतम निर्णय पारित करने मे अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक त्रुटि की है। अपीलांट का कथित खसरा नं. 206 के किसी भी भूभाग पर कोई कब्जा नही होने बाबत अपीलांट ने शपथ पत्र भी पेश किया है।

{2}(III)–अपीलांट का उसकी खातेदारी की भूमि के अलावा एक इंच भूभाग पर भी कोई कब्जा अतिक्रमण नही है। इसके बावजूद यदि अपीलांट की उपस्थिति मे उसकी खातेदारी भूमि व कथित खसरा नं.

अपर कलक्टर, नागौर

206 का नाप चोप किया जाता है व अपीलांट का कोई कब्जा पाया जाता है तो वैसी सूरत मे अपीलांट तुरंत ऐसा कोई कब्जा है तो उसे हटाने को तैयार था, है व रहेगा।

{2}(IV)–अपीलांट ने अपनी खातेदारी की भूमि का सीमाज्ञान करवाने के लिये भी तहसीलदार मुण्डवा से निवेदन किया लेकिन सुनवाई नही की व पटवारी की रिपोर्ट पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण की निष्पक्ष साक्ष्य नही होते हुए भी पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानकर निर्णय जैर अपील पारित करने मे विधिक त्रुटि की है।

{2}(V)–अपीलांट का किसी भी सरकारी भूमि के भूभाग पर कोई कब्जा नही है तथा न ही अपीलांट पश्चातवर्ती अतिक्रमी है पूर्व के कथित प्रकरण मे अपीलांट की कोई विधिवत सुनवाई नही हुई है न तथाकथित कोई बेदखली हुई थी, उसकी आड मे अपीलांट को गलत रूप से पश्चातवर्ती अतिक्रमी माना गया है। हस्तगत प्रकरण मे बिना किसी प्रकार की जांच किये व तहसीलदार ने स्वयं के स्तर पर मौका निरीक्षण किये बिना, अपीलांट को जवाबदेही व साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर दिये बिना तथा मौके पर कथित खसरा नं. 206 व अपीलांट की खातेदारी की भूमि का नाप चोप करवाये बिना ही सरसरी तौर पर निर्णय जैर अपील विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना पारित किया गया होने से निरस्तनीय है।

{2}(VI)–उपरोक्त परिस्थितियो मे निर्णय जैर अपील अपास्त कर तहसीलदार की उपस्थिति मे टीम बना कर कथित खसरा नं. 206 व उसके आस पास के खातेदारो की जमीनो व अपीलांट की खातेदारी की भूमि का नाप चोप करवा कर अपीलांट की मौजूदगी मे सीमाज्ञान करवाये जाने का आदेश दिया जाना प्रकरण की परिस्थितियो अनुसार आवश्यक व न्याय संगत है। यदि ऐसे नाप चोप मे अपीलांट का किसी सरकारी भूमि पर कोई कब्जा पाया जायेगा तो अपीलांट उसी वक्त ऐसा कब्जा हटाने को तैयार है व रहेगा। चूंकि अपीलांट की मौजूदगी मे कोई नाप चोप नही किया गया है। अपीलांट की खातेदारी की भूमि की सीवें माठे पीढियों पुरानी माफिक खातेदारी कायम है। अपीलांट के खेत के पास कभी कोई अवरोध या अपीलांट का खातेदारी की भूमि के अलावा किसी भूमि पर कब्जा अतिक्रमण नही रहा है। न ही अपीलांट के विरूद्व किसी ग्रामवासी की ऐसी कोई पूर्व मे शिकायत ही रही है। पटवारी से झूठी रिपोर्ट कुछ असामाजिक तत्वो ने करवायी है। इन परिस्थितियो मे अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमण नही माना जा सकता है। इसके बावजूद अपीलांट के विरूद्व मिथ्या कार्यवाही कर सिविल कारावास की सजा का आदेश पारित किया है व बाले बाले किये गये निर्णय की आड मे अपीलांट को गिरफतार भी कर लिया गया है। जिसे अपीलांट के विधिक अधिकारो का हनन हुआ है। इन परिस्थतियो मे निर्णय जैर अपील निरस्तनीय है।

{2}(VII)–वकील अपीलांट द्वारा बहस के दौरान अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध मौका रिपोर्ट दिनांक 14.8.18 की ओर ध्यान दिलाते हुए तर्क दिया कि निरीक्षक भू अभिलेख व पटवारी ने भी मौके से पटिटया व तारबंदी हटाई हुई, मानते हुए अतिक्रमण हटा लिया जाना पाया है। अपीलांट द्वारा आराजी भूमि से अतिक्रमण हटा लिया है तथा भविष्य मे अतिक्रमण नही करने हेतु शपथ पत्र भी प्रस्तुत कर दिया है। इसलिये सिविल कारावास की सजा माफ की जानी चाहिये।

{3}–राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट द्वारा मौजा खजवाना में स्थित गै.मु. बारानी–2 भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। अपीलाधीन आदेश में अपीलांट को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। पटवारी हल्का की अतिक्रमण रिपोर्ट में आराजी भूमि वाके खजवाना के खसरा नंबर 206 गै.मु. बारानी–2 भूमि पर अपीलांट का अतिक्रमण मानते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है। अपीलांट द्वारा आराजी भूमि पर अतिक्रमण नही होने तथा भविष्य मे अतिक्रमण नही करने हेतु शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति मे सिविल कारावास के बिन्दु पर नरम रूख अपनाया जाना उचित प्रतीत होता है।

{5}–उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील आंशिक स्वीकार कर सिविल कारावास की सजा इस शर्त के साथ माफ की जाती है कि अधीनस्थ न्यायालय स्वयं मौका निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करेंगें कि अपीलांट का भौतिक रूप से अतिक्रमण है अथवा नही। यदि भौतिक रूप से अतिक्रमण पाया जाता है तो सिविल कारावास की सजा यथावत कायम रहेगी। शेष आदेश बेदखली व जुर्माना जैर अपील यथावत कायम रखा जाता है।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
अपर कलक्टर, नागौर